कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स

आयुध एवं परिवहन इकाई चतुर्थ तल जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ–1

संख्याः लाजि0/पीएमटी–36/2017 दिनांकः जनवरी ,2018

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ
2. पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ ।
3. पुलिस महानिदेशक आवास निगम उ0प्र0 लखनऊ
4. पुलिस महानिदेशक सर्तकता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ ।
5. पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध संगठन उ0प्र लखनऊ ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक यातायात निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
7. अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक एस0आई0टी0 उ0प्र0 लखनऊ ।
9.अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।
10.अपर पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ ।
11.अपर पुलिस महानिदेशक रेडियो मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ ।
12 अपर पुलिस महानिदाशक, अभिसूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ
13 अपर पुलिस महानिदेशक ''तकनीकी सेवायें'' उ0प्र0 लखनऊ
14 .अपर पुलिस महानिदशक, ''सुरक्षा मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ
15 अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय लखनऊ।
16 अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस बल लखनऊ।
17 अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस गोरखपुर।
18 अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी मुरादाबाद।
19 अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।
20 अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस उन्नाव।
21 अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस मुरादाबाद।
22 अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र सीतापुर।
23 समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन्स उ0प्र0।
24 पुलिस महानिरीक्षक आरटीसी चुनार मीरजापुर।
25 पुलिस महानिरीक्षक ए0टी0एस0 लखनऊ ।
26 समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।
27. पुलिस महानिरीक्षक फूड सेल उ0प्र0 लखनऊ ।
28 पुलिस महानिरीक्षक रूल्स एवं मैनुअल उ0प्र0 लखनऊ ।
29 .पुलिस महानिरीक्षक महिला सम्मन प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ ।
30. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीटीएस मेरठ।
31 पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ ।
32.पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
33 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ ।
34 पुलिस अधीक्षक कापोरिटव सेल उ0प्र लखनऊ ।
35 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेशल टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ।
36 राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी सीतापुर ।
37 अपर पुलिस अधीक्षक सेन्ट्रल स्टोर कानपुर ।
38 निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 लखनऊ।
39 सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर/केन्द्रीय रिजर्व सीतापुर।
40 निदेशक फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ ।

विषय : आरक्षी चालक की दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षियों का नामांकन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

———

कृपया अवगत कराना है कि विगत में आरक्षी चालक की दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रषिक्षण तथा नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। इसके उपरान्त पुलिस महानिदेषक,उ0प्र0 के पत्र संख्या डीजी–चार–125(07)2017 दिनांक 12.11.2017 द्वारा आरक्षी चालक के 2000 पदों को भरे जाने का अधियाचन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ को भेजा गया है। इस पदो को भरे जाने हेतु 126 वें रिजर्व ड्राइवर कोर्स की चयन/परीक्षा प्रारम्भ की जा रही है।

2. अतः अनुरोध है कि आरक्षी चालक की दक्षता परीक्षा हेतु चयन/परीक्षा की कार्यवाही हेतु निम्नलिखित अर्हतायें पूर्ण करने वाले इच्छुक आरक्षी ना0पु0/सषस्त्र पुलिस/पीएसी के नामांकन प्रार्थना–पत्र सहित लाजिस्टिक्स कार्यालय को विलम्बतम 15.01.2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करे। विलम्ब से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार नही किया जायेगा।

3– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेष पुलिस मोटर परिवहन षाखा अधीनस्थ सरकारी सेवा नियमावली–2015 के नियम–5(क) में आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस,आरक्षी सषस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पीएसी पात्र होगें जो निम्न षर्ते पूर्ण करते हों :–

<u>नामांकन हेतु अर्हता/पात्रता :–</u>

1– चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों।
2– अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चष्में या सहायता के ऑखो की दृष्टि 6/6 हों।
3– पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हों।
4– मोटर यान अधिनियम,1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनो का ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है।
5– भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा (प्रषिक्षण केन्द्र में किये गये प्रषिक्षण की अवधि को छोडकर) पूर्ण कर ली हों।
6– विगत पॉच वर्षो की अवधि में:–
(एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो, या
(दो) कोई दीर्ध दण्ड न मिला हो, या
(तीन) दो या उससे अधिक लधु दण्ड न मिले हो।
7– विगत तीन वर्षो की अवधि में :–
(एक) कोई लधु दण्ड न मिला हो, या
(दो) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हो,या
(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।

3– अतः समस्त जनपदो/इकाईयो/पीएसी वाहिनियो में नियुक्त आरक्षियो को सूचित करें तथा उपरोक्त अर्हता रखने वाले कर्मियों से सम्बन्धित सूचना **<u>संलग्न निर्धारित प्रारूप</u>** में कम्प्यूटर द्वारा माइक्रोसाफ्ट एक्सल में TIMES NEW ROMAN FONT Size-10 में भरकर सीडी एवं पेन ड्राइव में प्रिन्ट आउट (HARD COPY) सहित दिनांक 15.01.2018 तक **<u>प्रत्येक दषा में लाजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।</u>**

<u>(2) निर्देष :–</u>

<u>नमांकन भेजते समय निम्नांकित निर्देषों का कडाई से पालन किया जाय :–</u>

1– नामांकित आरक्षी के स्वास्थ्य परीक्षण (विषेषतः दृष्टि परीक्षा)नामांकन भेजने के पूर्व ही करा लिया जाये तथा दृष्टि परीक्षा का परिणाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय अर्थात दृष्टि परीक्षा के परिणाम ठीक है, आदि अंकित न करके चिकित्सक द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र में दृष्टि परीक्षा का परिणाम (अंको में) अंकित किया जाय। यदि दृष्टि परीक्षा में आरक्षी कलर ब्लाइण्ड पाया जाता है तो चिकित्सा प्रमाण–पत्र में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

2— वाहन चालन कार्य के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3— नामांकन भेजने से पूर्व नामांकित आरक्षी नागरिक पुलिस/सषस्त्र पुलिस /पीएसी से इस आषय का बाण्ड भराकर रख लिया जाय कि आरक्षी चालक के पद पर उसकी प्रथम नियुक्ति पीएसी में की जायेगी जिस पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बाण्ड की एक प्रति नामांकन के साथ भेजी जाये।

4— नामांकन केवल निर्धारित प्रारूप में भरकर लाजिस्टिक्स कार्यालय को प्रेषित किया जाय एवं सुनिष्चित कर लिया जाय कि वह पूर्णरूप से सही—सही भरा गया है।

5— नामांकन दिनांक 15.01.2018 तक ही स्वीकार किये जायेगें। इस तिथि के पष्चात् प्राप्त होने वाले नामांकनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। **अतः समय—सीमा पर ध्यान रखा जाय।**

6— जिस आरक्षी की सत्यनिष्ठा दिनांक 01.07.2017 से विगत 05 वर्ष के अन्दर रोकी गयी हो, किसी भी दषा में उनका नामांकन नहीं भेजा जाय।

7— नामांकित आरक्षी का पॉच वर्ष का वार्षिक गोपनीय मन्तव्य संलग्न षासनादेष संख्या 36/1/78—का0—2—94 दिनांक 23.03.94 में निहित निर्देषों के अनुसार ही निर्धारित प्रारूप में अंकित किया जाय।

8— इस आषय का प्रमाण—पत्र प्रेषित किया जाय कि प्रारूप में अंकित सभी सूचनायें सर्व प्रकार सही—सही अंकित की गयी है एवं अंकित की गयी सूचना में कोई त्रुटि नही है।

4— कृपया इसे वरीयता प्रदान करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(एस0के0शुक्ला)
अपर पुलिस अधीक्षक
निमि0 अपर पुलिस महानिदेषक,लाजिस्टिक्स,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः— कृप्या निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— अपर पुलिस महानिदेषक,कार्मिक,उ0प्र0 लखनऊ।
2— पुलिस महानिदेषक के सहायक,उ0प्र0 लखनऊ।
3— पुलिस महानिरीक्षक—स्थापना,उ0प्र0 लखनऊ।
4— पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय,उ0प्र0 महानगर,लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया समस्त वाहिनियो से सूचना संकलित कर निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को प्रत्येक दशा में भिजवाने का कष्ट करें ।
5— सदस्य सचिव,उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,उ0प्र0 लखनऊ।
6— राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।